पानी सप्लाई के लिए 24 शहरों को 334 करोड़

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य के 24 नगर निकायों में 334 करोड़ रुपए से जलापूर्ति योजना शुरू की जाएगी। सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक यह योजना चालू वित्तीय वर्ष के लिए है। इसके तहत इन शहरों में हाईकैपेसिटी नलकूप लगाने की योजना राज्य जल पर्षद ने तैयार की है।

योजना का 150 करोड़ इस वित्तीय वर्ष और शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर मुहैया कराई जाएगी। योजना का कार्यान्वयन और रख-रखाव भी पर्षद ही करेगा। योजना का कार्यान्वयन डिजाइन बिल्ट आपरेट (डीबीओ) मोड में किया जाएगा।

इन शहरों का हुआ है चयन : जहानाबाद, बिहारशरीफ, सहरसा, सीतामढ़ी, नवादा, अररिया, गोपालगंज, मधेपुरा, बगहा, मसौढ़ी, रक्सौल, सुलतानगंज (सभी नगर परिषद) और शिवहर, ढाका, केसरिया, रामनगर, सिमरी बख्तियारपुर, जगदीशपुर, फतुहा, सासाराम, डुमरांव, इस्लामपुर, दाऊदनगर और बिक्रम (सभी नगर पंचायत)

लगेंगे 3245 नलकूप

पटना। लघु जल संसाधन विभाग के सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया है कि कृषि रोड मैप (वर्ष 2012-17) लागू हुआ है। इसमें पहले वर्ष में बिहार भू-जल सिंचाई योजना के तहत कुल 38 हजार 390 नलकूप लगाए जा चुके हैं और उनसे 2 लाख 68 हजार 500 एकड़ भूमि में पटवन किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना को मंत्री परिषद से 2 जनवरी को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बीस हजार नलकूप लगेंगे। इसके लिए 65.48 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। राज्य में कुल 3245 नलकूप वर्तमान में चल रहे हैं। नाबार्ड फेज-11 योजना में निर्मित कुल 2740 नलकूपों में 1040 नलकूप चालू है।

क्या है मानक : मानव विकास मिशन के तहत हर व्यक्ति को राज्य के नगर निगमों व नगर परिषदों में जहां सीवरेज उपलब्ध है, वहां पाइप से जलापूर्ति के लिए 135 लीटर और नगर पंचायतों में 70 लीटर पानी दिया जाना है। तय लक्ष्य को पाने के लिए समीक्षा के दौरान फिलहाल 24 निकायों में इस योजना को पूर्णतः लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई।